प्रधान महालेखाकार (ले0&ह0) का
कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

का.आ./ O.O. No. हिं.अ./ले. व ह./37/मुख्. पत्रा./2026-27/बी- 116
दिनांक / Date 03.09.2026

कार्यालय आदेश/ OFFICE ORDER

विषय :- "क" एवं "ख" क्षेत्र में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों से पत्राचार करने के संबंध में।

Subject: - Regarding correspondence with Central Government offices situated in Region "A" and "B".

मुख्यालय के निदेशानुसार (प्रति संलग्न) कार्यालय के सभी अधिकारियों/कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि "क" क्षेत्र में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों (बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, उत्तराखंड, छतीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान तथा अंडमान एवं निकोबार) तथा "ख" क्षेत्र में अवस्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों (गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली) के साथ पत्र व्यवहार केवल हिंदी में ही करें।

As per Headquarters' order (copy enclosed) all the officers/employees of the office are informed that correspondence with the Central Government Offices located in Region "A" (Bihar, Uttar Pradesh, Jharkhand, Madhya Pradesh, New Delhi, Uttarakhand, Chhattisgarh, Haryana, Himachal Pradesh, Rajasthan and Andaman & Nicobar) and Region "B" (Gujarat, Punjab, Maharashtra, Chandigarh, Daman & Diu and Dadra & Nagar Haveli) may be done only in Hindi.

दस्तावेज़ निर्गत करने वाले अधिकारी का यह दायित्व है कि मुख्यालय के निदेश एवं उपलब्ध कराये गए संलग्नक में उद्धृत नियमों का कड़ाई से पालन किया जाये।

It is the responsibility of the document-issuing officer to strictly adhere to the directives from Headquarters office and the rules cited in the provided enclosures.

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

This issues with the approval of the competent authority.

संलग्नक:- यथोपरि।

हस्ता./-
व. उपमहालेखाकार (प्रशासन)

सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रतिलिपि अग्रेषित :-

1. सभी के परिचालनार्थ।

सुनील कुमार
सहायक निदेशक (राजभाषा)

Phone: 0612-2225634 Fax: 0612-2221056 Email: agaebihar@cag.gov.in

संख्याः 462/84/रा.भा.अ./2026 (II)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE COMPTROLLER &
AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE : 05.08.2026

सेवा में,

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग के
सभी विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष
(ई-मेल सूची के अनुसार)

विषयः संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति के निर्देशानुसार हिंदी में पत्राचार किए जाने के संबंध में।

महोदया/ महोदय,

उपरोक्त विषय पर संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा दिनांकः 21.04.2026 को कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), गुजरात, राजकोट तथा दिनांकः 23.04.2026 को कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय) अहमदाबाद के निरीक्षण उपरांत 'ध्यान देने योग्य बातें' उपरोक्त वर्णित कार्यालयों के कार्यालय प्रधान को प्रदान की गई थी, जिसके क्रम संख्या-6 के पृष्ठ सं. 15 के मद सं.1 का (IX) एवं क्रम संख्या-3 के पृष्ठ सं. 15 के मद सं. 1 का (IX) के अनुसार मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालय नियमानुसार हिंदी में पत्राचार नहीं कर रहे हैं।

उक्त के संबंध में माननीय समिति द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रमुख की ओर से नियमानुसार यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र जारी करने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः उपरोक्त के अनुपालन में अनुरोध है कि सभी प्रकार के पत्राचार भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक (31 जुलाई, 2023 तक संशोधित), प्रतिवर्ष जारी होने वाले वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा अधिनियम-1963 और राजभाषा नियम 1976 इत्यादि के अनुसार किया जाए।

यह पत्र महानिदेशक (राजभाषा) के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

संलग्नः यथोपरि।

किरनपाल सिंह

(किरन पाल सिंह)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

File No. हिं.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL) SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG (A&E) BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

No.: 462 /84/रा.भा.अ./2026 (II)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110 124

सत्यमेव जयते

OFFICE OF THE COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA
10, BAHADUR SHAH ZAFAR MARG,
NEW DELHI - 110 124

दिनांक / DATE: 05.08.2026

To,

All Heads of Department/Heads of Office
Of the Indian Audit and Accounts Department
(As per e-mail list)

Subject: Compliance with the directions of the Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language regarding the use of Hindi in official correspondence.

Madam/Sir,

With reference to the subject cited above, the Third Sub-Committee of the Committee of Parliament on Official Language, during its inspection of the Office of the Principal Accountant General (Accounts & Entitlements), Gujarat, Rajkot on **21.04.2026** and the Office of the Director General of Audit (Central), Ahmedabad on **23.04.2026**, furnished its **"Points to be Noted"** to the Heads of the aforesaid offices. As per **Item No. 1 (IX) under Item No. 6 on Page No. 15** and **Item No. 1 (IX) under Item No. 3 on Page No. 15** thereof, it has been observed that the offices under the administrative control of the Headquarters are not carrying out official correspondence in Hindi in accordance with the prescribed rules.

In this regard, the Hon'ble Committee has directed that a letter be issued, on behalf of the Head of the Office of the Comptroller and Auditor General of India, to all field offices to ensure that appropriate action is taken in accordance with the prescribed rules.

Accordingly, in compliance with the above, it is requested that all official correspondence be done in accordance with the **Official Language (Hindi) Rules Manual** (as amended up to **31 July 2023**) issued by the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Government of India, the Annual Programme issued every year, the **Official Languages Act, 1963**, the **Official Languages Rules, 1976**, and other relevant instructions issued from time to time.

This letter is being issued with the approval of the Director General (Official Language).

Encl.: As above.

Yours sincerely,

किरणपाल सिंह

(Kiran Pal Singh)
Assistant Director (Official Language)

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

संसदीय राजभाषा समिति
(तीसरी उप-समिति)
*****

निरीक्षण की तारीख: 21.04.2026

कार्यालय का नाम: कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजकोट
(भाषा क्षेत्र: 'ख')

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	मद सं.	ध्यान देने योग्य बातें	
1.	6	9(पां)	यह कार्यालय का दूसरा निरीक्षण है। पहला निरीक्षण दिनांक 09.01.2024 को किया गया।	
2.	3	6	स्वीकृत कार्मिकों की **कुल संख्या** **456**	तैनात कार्मिकों की **कुल संख्या** **235**
3.	3	6(1) का (ii-iii)	कार्यालय में तैनात 235 कार्मिकों में से 131 कार्मिक हिंदी में प्रवीणता प्राप्त और 98 कार्मिकों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है। हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को हिंदी में प्रवीण बनाने हेतु रोस्टर तैयार कर **केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत** हिंदी भाषा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में नामित किया जाए। **माननीय समिति को अवगत कराएं कि हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कार्मिकों को कब तक प्रशिक्षित कर लिया जाएगा?**	
4.	3	6(1) का (vi)	कार्यालय में 03 कार्मिक हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष हैं। **हिंदी प्रशिक्षण के लिए शेष कार्मिकों को केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत हिंदी प्रशिक्षण दिलवाया जाए।**	
5.	6	9	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा कार्यालय का पहला निरीक्षण दिनांक 09.01.2024 को किया गया था। कार्यालय द्वारा आश्वासनों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के संबंध में सूचित किया गया है कि आश्वासनों को पूरा नहीं किया गया है। आश्वासनों को पूरा करने के संबंध में निर्धारित अवधि को बढ़ाने के लिए मुख्यालय को पत्र प्रेषित किया गया एवं इस संबंध में प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। कृपया माननीय समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। **मंत्रालय/मुख्यालय यह सुनिश्चित करें कि माननीय समिति के समक्ष दिए गए आश्वासनों को निर्धारित समय में पूरा करके समिति को अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।**	
6.	15	1 का (IX)	यह बहुत ही चिंताजनक है कि कार्यालय को मुख्यालय के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों ने 1866 पत्र और 'ख' क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों ने 3433 पत्र केवल अंग्रेजी में भेजे हैं, जिनकी सूची अनुलग्नक-5 पर दी गई है। यह निराशाजनक है कि मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालय नियमानुसार पत्राचार नहीं कर रहे हैं। **भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के प्रमुख की ओर से इस संबंध में नियमानुसार यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र जारी किया जाए।**	
7.	20	(III) का (3)	कंप्यूटरों पर हिंदी में कार्य नहीं करने वाले अप्रशिक्षित 05 कार्मिकों को कंप्यूटर प्रणाली पर हिंदी में कार्य करने के लिए तत्काल प्रशिक्षित किया जाए।	
8.	23	8	कार्यालय में कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में 12 लिपिकों में से मात्र 8 लिपिक ही सक्षम हैं जो अधिकतर हिंदी में कार्य करते हैं। शेष लिपिक कभी-कभी हिंदी में कार्य करते हैं। शेष 04 लिपिक जिन्हें हिंदी टाइपिंग का ज्ञान नहीं है, उन्हें शीघ्र प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। **कंप्यूटर पर हिंदी में काम करने में सक्षम सभी लिपिकों को ज्यादा से ज्यादा कार्य हिंदी में करने के आदेश जारी किया जाए।**	

---जारी---2/-

... हिं.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
...ted from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

9.	24	11(i)	कार्यालय में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का पद 03.01.2026 से रिक्त है। रिक्त पद को भरने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। **रिक्त पड़े हिंदी पदों को भरे जाने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में हुई प्रगति की सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाए।**
10.	24	11(vi)	कार्यालय में राजभाषा संबंधी पदों के पदनाम (जैसे कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान नहीं है। इस संबंध में इसे केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान किए जाने का आश्वासन मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी दिया गया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कृपया इसका कारण स्पष्ट करें। **मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम तथा वेतनमान को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदनाम तथा वेतनमान के समान करने के संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग के दिनांक 15 नवंबर, 2017 का अ.शा. पत्र सं. 15/42/2013-रा.भा.(सेवा) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना समिति सचिवालय को भी दी जाए।**
11.	29	17(iii)	कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख ने भाग नहीं लिया। कार्यालय प्रमुख कृपया इसका कारण स्पष्ट करें। **यह सुनिश्चित किया जाए कि नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों में कार्यालय प्रमुख स्वयं नियमित रूप से भाग लें।**
मुख्यालय:- भारत के महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, दिल्ली (भाषा क्षेत्र 'क')			
12.	54	16 (iv-v)	मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य में संलग्न पूर्णकालिक 133 पद रिक्त हैं। मुख्यालय द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? कृपया माननीय समिति को अवगत कराएं। **मुख्यालय द्वारा कार्यालय में रिक्त पड़े हिंदी पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रगति की सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाए।**
13.	55	19(i)	मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुख्यालय स्तर पर पिछले एक वर्ष के दौरान एक भी विज्ञापन जारी नहीं किए गए। जबकि विज्ञापनों पर व्यय दर्शाए गए हैं। कार्यालय द्वारा दी गई सूचना भ्रामक प्रतीत हो रही है। कृपया इसे स्पष्ट करें। **नियमानुसार मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में भी अनिवार्य रूप से दिया जाए।**
			यह अपेक्षा की जाती है कि मदों पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त निरीक्षण बैठक में माननीय सदस्यों को दिए गए अन्य आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति सचिवालय को **तीन माह** के अंदर भेजी जाएगी।

श्रीरंग आप्पा बारणे
Shrirang Appa Barne
संयोजक, तीसरी उप-समिति
Convenor, Third Sub-Committee
संसदीय राजभाषा समिति
Committee of Parliament on Official Language

31

संसदीय राजभाषा समिति

(तीसरी उप-समिति)

*****

निरीक्षण की तारीख: 23.04.2026

कार्यालय का नाम: कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), अहमदाबाद

(भाषा क्षेत्र: 'ख')

क्रम सं.	पृष्ठ सं.	मद सं.	ध्यान देने योग्य बातें
1.	6	9(क)	यह कार्यालय का पहला निरीक्षण है।
2.	3	6	स्वीकृत कार्मिकों की कुल संख्या: **298** तैनात कार्मिकों की कुल संख्या: **216**
3.	15	1 का (IX)	यह बहुत ही चिंताजनक है कि कार्यालय को मुख्यालय के अंतर्गत 'क' क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों ने 1927 पत्र और 'ख' क्षेत्र में स्थित विभिन्न कार्यालयों ने 6484 पत्र केवल अंग्रेजी में भेजे हैं, जिनकी सूची **अनुलग्नक-5** पर दी गई है। यह निराशाजनक है कि मुख्यालय के अंतर्गत आने वाले कार्यालय और अन्य विभागों द्वारा पत्राचार नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। **भारत के महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के प्रमुख की ओर से इस संबंध में नियमानुसार यथोचित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी अधीनस्थ कार्यालयों को पत्र जारी किया जाए।**
4.	5 और 16	7 (vii) और 2(II)	कार्यालय द्वारा पृष्ठ 5 के मद 7(vii) पर दी गई सूचना के अनुसार सभी 216 कार्मिक अपना शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करते हैं जबकि पृष्ठ 16 के मद 2(II) पर दी गई सूचना के अनुसार कार्यालय द्वारा "क", "ख" और "ग" क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के साथ हिंदी में क्रमशः **97.37%, 98.71% और 95.12%** ही पत्राचार किया गया है जो यह दर्शाता है कि सूचना विसंगतिपरक है। कृपया समिति को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं।
5.	24	11(i)	कार्यालय में कनिष्ठ हिंदी अनुवादक का पद 09.01.2025 से रिक्त है। रिक्त पद को भरने के संबंध में शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। **रिक्त पड़े हिंदी पदों को भरे जाने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में हुई प्रगति की सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाए।**
6.	24	11(iv)	कार्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार सृजित नहीं है और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक का 01 पद सृजित करने के लिए दिनांक 23.03.2026 को मुख्यालय को पत्र भेजा गया है। **मुख्यालय के प्रतिनिधि कृपया यह स्पष्ट करें कि उक्त पद सृजित करने के संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है? नियमानुसार पद सृजित किए जाने हेतु तत्काल कार्रवाई की जाए तथा इस संबंध में हुई प्रगति की सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाए।**
7.	24	11(vi)	कार्यालय में राजभाषा संबंधी पदों के पदनाम (जैसे कि कनिष्ठ हिंदी अनुवादक और वरिष्ठ हिंदी अनुवादक) केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान नहीं है। इस संबंध में इसे केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के समान किए जाने का आश्वासन मुख्यालय द्वारा पूर्व में भी दिया गया था जिसे अभी तक पूरा नहीं किया गया है। कृपया इसका कारण स्पष्ट करें। **मंत्रालय/विभाग के अधीन सभी अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिकारियों के पदनाम तथा वेतनमान को केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के पदनाम तथा वेतनमान के समान करने के संबंध में सचिव, राजभाषा विभाग के दिनांक 15 नवंबर, 2017 का अ.शा. पत्र सं. 15/42/2013-रा.भा.(सेवा) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना समिति सचिवालय को भी दी जाए।**

---जारी---2/-

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/स.प्रा./[redacted]
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

8.	28	16(iii)	कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकें समान अंतराल पर आयोजित नहीं की गई है। कृपया इसका कारण स्पष्ट करें। **नियमानुसार कार्यालय में राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन वर्ष में 04 बार अर्थात नियमित रूप से प्रत्येक तीन महीनें के अंतराल पर आयोजित किया जाए। इन बैठकों की अध्यक्षता स्वयं कार्यालय प्रमुख द्वारा की जाए।**
9.	36	4 (i) और (ii)	कार्यालय में अनुभागों की कुल संख्या 12 है। पिछले एक वर्ष के दौरान केवल 03 अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण किया गया है, **जो लक्ष्य से कम है।** **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम के अनुसार न्यूनतम 30% अनुभागों का राजभाषायी निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। इसका अनुपालन किया जाए।**
मुख्यालय:- भारत के महानियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, दिल्ली (भाषा क्षेत्र 'क')			
10.	54	16 (iv-v)	मुख्यालय के अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन तथा अनुवाद कार्य में संलग्न पूर्णकालिक 133 पद रिक्त हैं। मुख्यालय द्वारा इन रिक्त पदों को भरने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है? **कृपया माननीय समिति को अवगत कराएं।** **मुख्यालय द्वारा कार्यालय में रिक्त पड़े हिंदी पदों को भरने के लिए यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई की जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई/प्रगति की सूचना समिति सचिवालय को भेजी जाए।**
11.	55	19(i)	मुख्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुख्यालय स्तर पर पिछले एक वर्ष के दौरान एक भी विज्ञापन जारी नहीं किए गए। जबकि विज्ञापनों पर व्यय दर्शाए गए हैं। कार्यालय द्वारा दी गई सूचना भ्रामक प्रतीत हो रही है। कृपया इसे स्पष्ट करें। **नियमानुसार मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में भी अनिवार्य रुप से दिया जाए।**
			यह अपेक्षा की जाती है कि मदों पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए उपर्युक्त निरीक्षण बैठक में माननीय सदस्यों को दिए गए अन्य आश्वासनों पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट समिति सचिवालय को **तीन माह के अंदर भेजी जाएगी।**

श्रीरंग आप्पा बारणे
Shrirang Appa Barne
संयोजक, तीसरी उप-समिति
Convenor, Third Sub-Committee
संसदीय राजभाषा समिति
Committee of Parliament on Official Language

राजभाषा नियम, 1976

राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग)

नियम, 1976

(यथा संशोधित, 1987, 2007 तथा 2011)

सा.का.नि. 1052 --राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 3 की उपधारा (4) के साथ पठित धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थातः-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ--**
   a. इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 है।
   b. इनका विस्तार, तमिलनाडु राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है।
   c. ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं-- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होः-**
   a. 'अधिनियम' से राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) अभिप्रेत है;
   b. 'केन्द्रीय सरकार के कार्यालय' के अन्तर्गत निम्नलिखित भी है, अर्थातः-
   c. केन्द्रीय सरकार का कोई मंत्रालय, विभाग या कार्यालय;
   d. केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किसी आयोग, समिति या अधिकरण का कोई कार्यालय; और
   e. केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी का कोई कार्यालय;
   f. 'कर्मचारी' से केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में नियोजित कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
   g. 'अधिसूचित कार्यालय' से नियम 10 के उपनियम (4) के अधीन अधिसूचित कार्यालय, अभिप्रेत है;
   h. 'हिन्दी में प्रवीणता' से नियम 9 में वर्णित प्रवीणता अभिप्रेत है ;
   i. 'क्षेत्र क' से बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
   j. 'क्षेत्र ख' से गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं;
   k. 'क्षेत्र ग' से खंड (च) और (छ) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है;
   l. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान' से नियम 10 में वर्णित कार्यसाधक ज्ञान अभिप्रेत है ।

3. **राज्यों आदि और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से भिन्न कार्यालयों के साथ पत्रादि-**
   1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क' में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि असाधारण दशाओं को छोड़कर हिन्दी में होंगे और यदि उनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगा।
   2. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से--
      a. क्षेत्र 'ख' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) को पत्रादि सामान्यतया हिन्दी में होंगे और यदि इनमें से किसी को कोई पत्रादि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिन्दी अनुवाद भी भेजा जाएगाः परन्तु यदि कोई ऐसा राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यह चाहता है कि किसी विशिष्ट वर्ग या प्रवर्ग के पत्रादि या उसके किसी कार्यालय के लिए आशयित पत्रादि संबद्ध राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि तक अंग्रेजी या हिन्दी में भेजे जाएं और उसके साथ दूसरी भाषा में उसका अनुवाद भी भेजा जाए तो ऐसे पत्रादि उसी रीति से भेजे जाएंगे ;
      b. क्षेत्र 'ख' के किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं।
   3. केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'ग' में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो)या व्यक्ति को पत्रादि अंग्रेजी में होंगे।
   4. उप नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, क्षेत्र 'ग' में केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र 'क'या'ख'में किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को या ऐसे राज्य में किसी कार्यालय (जो केन्द्रीय सरकार का कार्यालय न हो) या व्यक्ति को पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं । परन्तु हिन्दी में पत्रादि ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे।

4. **केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-**

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

a. केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं

b. केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करे;

c. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

d. क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

e. क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या,हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे ;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि--

i. क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित हैं वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

ii. क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी ।

5. हिन्दी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर--

नियम 3 और नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी, हिन्दी में पत्रादि के उत्तर केन्द्रीय सरकार के कार्यालय से हिन्दी में दिए जाएंगे ।

6. हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग-

अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट सभी दस्तावेजों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी दोनों का प्रयोग किया जाएगा और ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे यह सुनिश्चित कर लें कि ऐसी दस्तावेजें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों ही में तैयार की जाती हैं, निष्पादित की जाती हैं और जारी की जाती हैं।

7. आवेदन, अभ्यावेदन आदि-

1. कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी या अंग्रेजी में कर सकता है।
2. जब उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट कोई आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिन्दी में किया गया हो या उस पर हिन्दी में हस्ताक्षर किए गए हों, तब उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाएगा।
3. यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाहियां भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना,जिसका कर्मचारी पर तामील किया
जाना अपेक्षित है, यथास्थिति, हिन्दी या अंग्रेजी में होनी चाहिए तो वह उसे असम्यक विलम्ब के बिना उसी भाषा में दी जाएगी।

8. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में टिप्पणों का लिखा जाना -

1. कोई कर्मचारी किसी फाइल पर टिप्पण या कार्यवृत्त हिंदी या अंग्रेजी में लिख सकता है और उससे यह अपेक्षा नहीं की जाएगी कि वह उसका अनुवाद दूसरी भाषा में प्रस्तुत करे।
2. केन्द्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिन्दी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की मांग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।
3. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई विशिष्ट दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है या नहीं तो विभाग या कार्यालय का प्रधान उसका विनिश्चय करेगा।
4. उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा ऐसे अधिसूचित कार्यालयों को विनिर्दिष्ट कर सकती है जहां ऐसे कर्मचारियों द्वारा,जिन्हें हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है, टिप्पण, प्रारूपण और ऐसे अन्य शासकीय प्रयोजनों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, केवल हिन्दी का प्रयोग किया जाएगा ।

9. हिन्दी में प्रवीणता-

यदि किसी कर्मचारी ने-

a. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिन्दी के माध्यम से उत्तीर्ण कर ली है;या

b. स्नातक परीक्षा में अथवा स्नातक परीक्षा की समतुल्य या उससे उच्चतर किसी अन्य परीक्षा में हिन्दी को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया हो; या

c. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसे हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त कर ली है ।

10. हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान-

1.

a. यदि किसी कर्मचारी ने-

i. मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिन्दी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या

ii. केन्द्रीय सरकार की हिन्दी परीक्षा योजना के अन्तर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के सम्बन्ध में उस योजना के अन्तर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है;या

iii. केन्द्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या

b. यदि वह इन नियमों से उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है;

तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

2. यदि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में कार्य करने वाले कर्मचारियों में से अस्सी प्रतिशत ने हिन्दी का ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उस कार्यालय के कर्मचारियों के बारे में सामान्यतया यह समझा जाएगा कि उन्होंने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

3. केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अधिकारी यह अवधारित कर सकता है कि केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय के कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है या नहीं।

4. केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों में कर्मचारियों ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएंगे;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार की राय है कि किसी अधिसूचित कार्यालय में काम करने वाले और हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले कर्मचारियों का प्रतिशत किसी तारीख में से
उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत से कम हो गया है, तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि उक्त कार्यालय उस तारीख से अधिसूचित कार्यालय नहीं रह जाएगा ।

11. **मैनुअल, संहिताएं, प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, लेखन सामग्री आदि-**

1. केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से संबंधित सभी मैनुअल, संहिताएं और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य, हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषिक रूप में यथास्थिति, मुद्रित या साइक्लोस्टाइल किया जाएगा और प्रकाशित किया जाएगा।

2. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में होंगे।

3. केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्रशीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिन्दी और अंग्रेजी में लिखी जाएंगी, मुद्रित या उत्कीर्ण होंगी;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, केन्द्रीय सरकार के किसी कार्यालय को इस नियम के सभी या किन्हीं उपबन्धों से छूट दे सकती है।

12. **अनुपालन का उत्तरदायित्व-**

1. केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह--

i. यह सुनिश्चित करे कि अधिनियम और इन नियमों के उपबंधों और उपनियम (2) के अधीन जारी किए गए निदेशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है;और

ii. इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के लिए उपाय करे ।

2. केन्द्रीय सरकार अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के सम्यक अनुपालन के लिए अपने कर्मचारियों और कार्यालयों को समय-समय पर आवश्यक निदेश जारी कर सकती है ।

[भारत का राजपत्र, भाग-2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

नई दिल्ली, दिनांक: अगस्त, 2007

File No. हिं.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

182 का० ज्ञा० सं० 1/14034/15/87 रा० भा०(क-1) दिनांक, 26-2-88.

विषय :—"क" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों के अधीन कार्यालयों, उपक्रमों आदि के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना

सचिव, राजभाषा विभाग का "क" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को सम्बोधित अर्ध-शासकीय समसंख्यक पत्र दिनांक 12 जनवरी, 1988 की प्रति उपाबंध-1 में है। पत्र में अनुरोध किया गया है कि "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों तथा उनके अधीन सभी कार्यालयों, उपक्रमों आदि द्वारा केन्द्रीय सरकार और उसके उपक्रमों के "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाए।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के उपाबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार के "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/कम्पनियों आदि द्वारा "क" क्षेत्र में स्थित राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में किया जाना आवश्यक है।

3. राजभाषा नियम, 1976 में की गई उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सही ढंग से तभी हो सकता है जबकि "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिन्दी में किया जाए और उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिन्दी में दिया जाए।

4. केन्द्रीय सरकार के समस्त मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उपर्युक्त निदेशों को अपने सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व या नियंत्रणाधीन कम्पनियों/उपक्रमों/राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि के ध्यान में ला दें तथा इनके अनुपालन को सुनिश्चित करने का भी अनुदेश दें।

5. इस संबंध में दिए गए निर्देशों की प्रति इस विभाग को भी सूचनार्थ भेजें।

अ० शा० पत्र सं० 1/14034/15/87–रा० भा०(क-1), दिनांक 12-1-88

राजभाषा अधिनियम, 1963 के अधीन बनाए गए राजभाषा नियम, 1976 के नियम 2 के अन्तर्गत बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और उत्तरप्रदेश राज्यों तथा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र एवं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को "क" क्षेत्र में शामिल किया गया है। गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र को "ख" क्षेत्र में शामिल किया गया है।

2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार के "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी मंत्रालय/विभाग और अधीनस्थ कार्यालयों और केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रण के अधीन किसी निगम या कम्पनी के कार्यालयों के लिए यह अनिवार्य है कि वह "क" में स्थित राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के साथ पत्राचार हिन्दी में करें। कुछ कार्यालयों द्वारा इस बारे में कठिनाई बतलाई गई है कि "क" क्षेत्र में स्थित राज्य सरकारों से कई बार उन्हें पत्र अंग्रेजी में आते हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों को ये कहा जा रहा है कि "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से यदि कोई पत्र अंग्रेजी में आए तो उनका उत्तर भी हिन्दी में दिया जाना चाहिए, परन्तु यदि "क" क्षेत्र की राज्य सरकारों से पत्र हिन्दी में भेजे जाएं तो इससे उपरोक्त नियम के अनुपालन में सुविधा होगी।

3. अतः आपसे ये अनुरोध है कि कृपया राज्य सरकार के अधीन सभी कार्यालयों, उपक्रमों आदि को आवश्यक अनुदेश जारी करें कि वे केन्द्रीय सरकार और उसके उपक्रमों के "क" व "ख" क्षेत्रों में स्थित सभी कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिन्दी में ही करें। मैं आभारी होऊंगा यदि इन अनुदेशों की एक प्रति राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को सूचना के लिए भेज दी जाए।

183. का० ज्ञा० संख्या 1/14034/10/87–रा० भा०(क-1). दिनांक 26-5-88.

विषय:—अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र से पत्र व्यवहार।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग की अधिसूचना सं० 790, दिनांक 9 अक्तूबर, 1987 के अधीन अन्दमान व निकोबार संघ राज्य क्षेत्र को राजभाषा नियम, 1976 के अन्तर्गत "ख" क्षेत्र से हटाकर "क" क्षेत्र में शामिल कर लिया गया है।

2. राजभाषा विभाग के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अन्दमान व निकोबार संघ राज्य क्षेत्र को "क" क्षेत्र में शामिल किए जाने से उस क्षेत्र में स्थित अहिन्दी भाषी लोगों को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि के साथ पत्राचार हिन्दी में करने से असुविधा हो सकती है। अतः यह निर्णय लिया गया है कि अन्दमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि द्वारा उस क्षेत्र की जनता से अंग्रेजी में पत्र प्राप्त होने पर उनके उत्तर अंग्रेजी में ही दिए जाएंगे।

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक

MANUAL REGARDING THE USE OF OFFICIAL LANGUAGE HINDI

31 जुलाई, 2023 तक संशोधित

Revised upto 31st July, 2023

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

Government of India

राजभाषा हिंदी के प्रयोग संबंधी नियम-पुस्तक

MANUAL REGARDING THE USE OF OFFICIAL LANGUAGE HINDI

31 जुलाई, 2023 तक संशोधित

Revised upto 31st July, 2023

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

गृह मंत्रालय

Ministry of Home Affairs

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

अध्याय 1
राजभाषा संबंधी संवैधानिक तथा विधिक उपबंध

सामान्य - संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी है। परन्तु हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भाषा का प्रयोग भी सरकारी कामकाज में किया जा सकता है। [संविधान अनुच्छेद 343 (1) तथा राजभाषा अधिनियम की धारा 3]

1.1 संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा

संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परन्तु राज्य सभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा ऐसे रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति सदन के किसी सदस्य को अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुमति दे सकता है।

1.2 किन प्रयोजनों के लिए केवल हिंदी का प्रयोग किया जाना है, किनके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग आवश्यक है, किनके लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाना है और किन कार्यों के लिए हिंदी या अंग्रेजी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया जा सकता है यह राजभाषा अधिनियम, 1963, राजभाषा नियम, 1976 और उनके अन्तर्गत समय-समय पर राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय की ओर से जारी किए गए निदेशों द्वारा निर्धारित किया गया है।

1.3 राज्य सरकारों, केंद्रीय सरकार के कार्यालयों को छोड़कर दूसरे कार्यालयों या व्यक्तियों से पत्र व्यवहार

केंद्रीय सरकार के क्षेत्र "क" क्षेत्र "ख" में स्थित कार्यालयों से क्षेत्र "क" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में केंद्रीय सरकार के कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि असाधारण दशा को छोड़कर, हिंदी में भेजे जाएं। यदि उनमें से किसी को कोई पत्र आदि अंग्रेजी में भेजा जाता है तो उसके साथ उसका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए।

[राजभाषा नियम 3(1) व 3(4)]

1.4 केंद्रीय सरकार के क्षेत्र "क" क्षेत्र "ख" में स्थित कार्यालयों से क्षेत्र "ख" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय को या ऐसे राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि को आम तौर पर हिंदी में भेजा जाए। यदि उनमें से किसी को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाते हैं तो उनके साथ उनका हिंदी अनुवाद भी भेजा जाए।

[राजभाषा नियम 3(2) व 3(4)]

1.5 क्षेत्र "ग" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालय से क्षेत्र "क" या क्षेत्र "ख" में स्थित किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय को या केंद्रीय सरकार कार्यालय के क्षेत्र को छोड़कर ऐसे राज्य में स्थित किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में भेजे जा सकते हैं। राजभाषा विभाग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया जाता है कि इस पत्र आदि में हिंदी का प्रयोग किस अनुपात से किया जाए।

[नियम 3(4)]

1.6 केंद्रीय सरकार के किसी भी कार्यालय से क्षेत्र "ग" में किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र को या ऐसे राज्य में केंद्रीय सरकार के कार्यालय को छोड़कर किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि अंग्रेजी में भेजे जाएं।

[नियम 3(3)]

1.7 केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र व्यवहार

केंद्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्र आदि हिंदी या अंग्रेजी में हो सकते हैं।

[नियम 4(क)]

1.8 केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग को छोड़कर क्षेत्र "क" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में भेजे जाएं।

[नियम 4(ग)]

File No.
Generat
File No. हि.अ./ले.एवंह्क./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

1.9 केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र "क" में स्थित संबद्ध या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्र आदि हिंदी में उस अनुपात से भेजे जाते हैं, जो राजभाषा विभाग प्रत्येक वर्ष वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित करता है।

[नियम 4 (ख)]

1.10 क्षेत्र "ख" और क्षेत्र "ग" में स्थित कार्यालयों का आपस में और क्षेत्र "क" में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ पत्र व्यवहार हिंदी या अंग्रेजी में हो सकता है। यह पत्र व्यवहार किस अनुपात में हिंदी में किया जाए, यह राजभाषा विभाग द्वारा हर वर्ष जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किया जाता है।

[नियम 4 (घ) व (ङ)]

1.11 क्षेत्र "क" या क्षेत्र "ख" में स्थित किसी केंद्रीय सरकार के कार्यालय को संबोधित पत्र आदि का दूसरी भाषा में अनुवाद भेजने की आवश्यकता नहीं। इसका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्र आदि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा।

[नियम 4 का परन्तुक (1)]

1.12 क्षेत्र "ग" में स्थित केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय को यदि कोई पत्र हिंदी में भेजा जाता है और "ग" क्षेत्र में स्थित वह कार्यालय राजभाषा नियम 10 (4) के अधीन अधिसूचित है तब उसे अंग्रेजी में अनुवाद भेजने की आवश्यकता नहीं। क्षेत्र "ग" में स्थित केंद्रीय सरकार के दूसरे कार्यालयों को यदि पत्र हिंदी में भेजा जाता है तो उसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद उसके साथ भेजा जाए

[नियम 4 परन्तुक 2]

1.13 हिंदी में प्राप्त पत्रादि का उत्तर

हिंदी में पत्र आदि का उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिया जाए , चाहे वे किसी भी क्षेत्र से प्राप्त हों और किसी भी राज्य सरकार, व्यक्ति या केंद्रीय सरकार के कार्यालय से प्राप्त हों।

[नियम 5]

1.14 आवेदन, अभ्यावेदन आदि का उत्तर

कोई कर्मचारी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी या अंग्रेजी में कर सकता है। यदि कोई कर्मचारी अपना आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में करता है या उस पर हिंदी में हस्ताक्षर करता है तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए।

[नियम 7]

1.15 सेवा संबंधी आदेश या सूचना

यदि कोई कर्मचारी यह चाहता है कि सेवा संबंधी विषयों (जिनके अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही भी हैं) से संबंधित कोई आदेश या सूचना, जिसको कर्मचारी पर तामील किया जाना अपेक्षित है, हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए तो वह उसे अविलम्ब उसी भाषा में दिया जाए।

[नियम 7 (3)]

1.16 दस्तावेज मैनुअल आदि जो द्विभाषी होने चाहिए

निम्नलिखित दस्तावेज आदि हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में जारी किए जाएं :-

(1) संकल्प, साधारण आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन या प्रेस विज्ञप्ति।

(2) संसद के किसी सदन या सदनों के समक्ष रखे गए प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन और राजकीय कागज पत्र।

(3) संविदाओं और करारों का निष्पादन लाइसेंस, परमिट और टेंडर के लिए नोटिस और प्ररूप।

[अधिनियम धारा 3 (3)]

1.17 (क) सभी मैनुअल संहिता और प्रक्रिया संबंधी अन्य साहित्य हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में मुद्रित या साइक्लोस्टाइल या प्रकाशित किया जाए।

(ख) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों के प्ररूप और शीर्षक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में हो।

(ग) केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग के लिए सभी नामपट्ट, सूचना पट्ट, पत्र शीर्ष और लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मदें हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी, मुद्रित या उत्कीर्ण की जाएं।

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2026-27

ANNUAL PROGRAMME FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF THE UNION IN HINDI 2026-27

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

राजभाषा विभाग

DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE

www.rajbhasha.gov.in

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

CONTENTS

SL.NO.	Subject	Page No.
1.	Foreword	1-13
2.	Important directions regarding Official Language Policy	14-23
3.	Annual Programme for the use of Hindi for the year 2026-27	24-27

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 100% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 90% के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र 60% के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एव आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेशन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

राजभाषा नीति संबंधी आदेश

Orders Regarding Official Languages Policy

1. **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 1992 के का.ज्ञा. सं. 12024/2/92-रा.भा.(ख-2) से उद्धरण - रजिस्टरों और सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक और प्रविष्टियां।**

(1) संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में यह सिफारिश की है कि - (1) सभी कार्यालयों में उपलब्ध रजिस्टरों और सभी वर्गों के अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा पुस्तिकाओं के शीर्षक द्विभाषी होने चाहिए और उनमें प्रविष्टियां हिंदी में होनी चाहिए। (2) 'क' और 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं।

(2) समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि (i)'क' व 'ख' क्षेत्र में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों में रखे जाने वाले रजिस्टरों/ सेवा पुस्तिकाओं में प्रविष्टियां हिंदी में ही की जाएं। 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों में ऐसी प्रविष्टियां यथासंभव हिंदी में की जाएं। (ii)'क' तथा 'ख' क्षेत्रों में भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते अनिवार्य रूप से हिंदी में ही लिखे जाएं।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग -II की मद सं.- 5]

Extracts from O.M. No. 12024/2/92-O.L.(B-2) dt. 21 July' 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding Headings and Entries in the Registers and Service Books.

(1) The Committee of Parliament on Official Language in the fourth part of its report has recommended that (1) the headings of the registers available in all the Govt. Offices and of the service books of all categories of Officers and employees should be bilingual and the entries therein should be made in Hindi; (2) the addresses on the envelopes to be sent to regions 'A' & 'B' should, invariably, be written in Hindi.

(2) In the perspective of the recommendations of the Committee of Parliament on Official Language, all the Ministries/Departments are requested to ensure that (i) the entries in the registers/service books to be maintained in the Central Government Offices located in Regions 'A' & 'B' be made in Hindi and such entries in the offices located in region 'C' as far as possible be made in Hindi. (ii) addresses on the envelopes to be sent to regions 'A' & 'B', invariably, be written in Hindi.

[Reference: Item No. 5 of Part II of the Questionnaire]

2. **राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 26 फरवरी, 1988 के का. ज्ञा. सं0 1/14034/15/87-रा.भा. (क.1) से उद्धरण - अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में देना।**

(1) राजभाषा नियम, 1976 के नियम 3 के उपबंधों के अधीन केंद्रीय सरकार के 'क' और 'ख' क्षेत्रों में स्थित सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/उपक्रमों/कम्पनियों आदि द्वारा 'क' क्षेत्र में स्थित राज्यों या संघ क्षेत्रों या उनके अधीन कार्यालयों के साथ पत्र-व्यवहार हिंदी में किया जाना आवश्यक है।

(2) राजभाषा नियम, 1976 में की गई उपर्युक्त व्यवस्था का अनुपालन सही ढंग से तभी हो सकता है जबकि 'क' क्षेत्र की राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों से मूल पत्राचार हिंदी में किया जाए और उनसे कोई पत्र अंग्रेजी में भी आए तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाए।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग - III की मद सं. 1 (VII)]

Extracts from O.M. No. 1/14034/15/87-O.L. (A-I) dt. 26 Feb' 1988 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding reply in Hindi of the letters received in English.

(1) Under the provisions of Rule 3 of the Official Language Rules, 1976, it is required that all Ministries/Departments/Offices/Undertakings/Companies, etc. of the Central Government located in Region 'A' and 'B' should correspond with the States or Union Territories or the offices under their control located in Region 'A' in Hindi.

(2) The aforesaid provisions made under the Official Language Rules, 1976 can be complied with properly only if original correspondence with the State Governments and the administrations of the Union Territories in Region 'A' is done in Hindi and even if a letter is received in English from them it may also be replied to in Hindi.

[Reference : Item No. 1 (VII) of Part III of Questionnaire]

3. राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 21 जुलाई, 1992 का कार्यालय ज्ञापन सं. 12024/2/92-रा0भा0(ख-2)-4 से उद्धरण – वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित हिंदी पत्राचार का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु ठोस उपाय।

(1) संसदीय राजभाषा समिति ने अपनी रिपोर्ट के चतुर्थ खण्ड में सिफारिश की है कि हिंदी में प्राप्त पत्र के उत्तर अनिवार्य रूप से हिंदी में दिए जाएं तथा मूल पत्राचार में राजभाषा नियमों में वर्णित अनिवार्यताओं का पूर्णरूप से अनुपालन किया जाए और 'ग' क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ भी हिंदी में पत्राचार को बढ़ाया जाए।

(2) राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से यह अनुरोध किया जाता रहा है कि वे इस विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए यथासम्भव प्रयत्न करें। समिति की उक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में सभी मंत्रालयों/विभागों आदि से अनुरोध है कि वे अपने यहां तथा अपने सभी सम्बद्ध/ अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि में हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाएं ताकि वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके।

(3) संसदीय राजभाषा समिति की उपर्युक्त सिफारिशों के परिप्रेक्ष्य में कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए यह बेहतर होगा कि मंत्रालय/ विभाग अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की बैठकों की कार्यसूची में इसे एक मद के तौर पर शामिल कर लें और प्रत्येक बैठक में उसकी समीक्षा करें। वार्षिक कार्यक्रम में दिए गए लक्ष्यों की प्राप्ति की समीक्षा भी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में की जानी चाहिए। जो मंत्रालय/विभाग/कार्यालय आदि निर्धारित लक्ष्य से बहुत पीछे हों, वे एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करके एक समय-सीमा के अन्दर समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(4) मंत्रालयों/विभागों से यह भी अनुरोध है कि उपर्युक्त जानकारी अनुपालनार्थ अपने सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/उपक्रमों/निगमों आदि के ध्यान में ला दें।

[संदर्भ : प्रश्नावली के भाग -III की मद सं. - 2(III) (iii)]

Extracts from O.M. No. 12024/2/92-O.L. (B-2)-4 dated 21st July, 1992 of Ministry of Home Affairs, Department of Official Language regarding Concrete Steps to achieve the targets in respect of correspondence as stipulated in the Annual Programme.

(1) The Committee of Parliament on Official language in the fourth part of its report has recommended that the letters received in Hindi should, invariably, be replied to in Hindi and the bindings laid down in the Official Languauges Rules relating to original correspondence should be fully complied with; and the quantum of correspondence in Hindi with the Central Govt. Offices located in Region 'C' should also be increased.

File No. हि.अ./ले.एवंहक./37/मु.पत्रा./2023-24 (Computer No. 171225)
Generated from eOffice by SUNNY KUMAR, JTO(OL)-SK, JUNIOR TRANSLATION OFFICER, PAG-(A&E)-BIHAR on 25/08/2026 04:53 pm